प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी. सी. वास्ते नेखमबन्दी आदेश पारित करने पर तथा उस पर विप्रार्थी वकील द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली आज तलब की गई।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभिकथन किया कि राजस्व आवेदन सं. 53/2021 अनवान छोगाराम बनाम डूंगराराम व अन्य में श्रीमान न्यायालय द्वारा आशिक स्वीकार कर दिनांक 23.11.2022 को वादग्रस्त भूमि मौजा शिवनगर टाकू पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 361 / 20 रकबा 7.4266 हैक्टेयर की पक्की नेखमबन्दी के सम्बन्ध आदेश पारित के दौरान आदेशित किया गया कि उक्त राजस्व आवेदन विचारण के दौरान इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित पृथक से एक राजस्व वाद अनवान तुलसीदेवी बनाम डूंगराराम का वास्ते खातेदारी घोषणा का श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा मेरे आवेदन पत्र को इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार किया, कि इसी वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित राजस्व वाद अनवान तुलसीदेवी बनाम डूंगराराम में पारित आदेश एवं निर्णय से मेरी नेखमबन्दी का आदेश प्रभावित रहेगा। इस संबंध में पृथक से विचाराधीन वाद अनवान तुलसीदेवी बनाम डूंगराराम वगैरा न्यायालय श्री द्वारा वादी की अदम पैरवी के

कारण दिनांक 21/7/22 को खारिज हो गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में वाद का कोई प्रभाव नहीं रहने से मेरी नेखमबन्दी का आदेश उक्त वाद से अप्रभावित है, ऐसी स्थिति में मेरे आवेदन में अंकित मेरी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी का स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नेखमबन्दी के आंशिक आदेश दिनांक 23.11.2022 को संशोधित कर स्पष्ट (सम्पूर्ण) आदेश पारित करवाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी की बहस के तथ्यों पर वकील विप्रार्थी द्वारा अपनी ओर से अनापत्ति व्यक्त करते हुए चाही गई इस्तदुआ अनुसार नेखमबंदी आदेश पारित किये जाने में सहमति दी है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा प्रार्थना पत्र के सलंग्न राजस्व वाद सं. 62/2021 तुलछी बनाम डूंगराराम में पारित आदेशिका दिनांक 21.07.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अद्यतन से पाया गया कि उक्त आवेदन के संबंधित भूमि को लेकर दायर वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज हो चुका है। इस प्रकार आवेदन सं. 53/2021 के निर्णय दिनांक 23.11.2022 के अन्तिम पैराज में उल्लेखित तथ्यों कि" प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मूल बाद 62/2021 तुलसीदेवी बनाम डूंगराराम में जरिये साक्ष्य / सबूत के विधिवत निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन मूल वाद के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरामदगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।" के आधार पर स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त आवेदन के निस्तारण के समय विवादित आराजी के संबंध में विचाराधीन वाद का निस्तारण हो चुका है। उक्त वाद निस्तारण अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में होने से वादग्रस्त भूमि के वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता नहीं पाये जाने की दशा में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवेदन सं. 53/2021 को पुर्नबरामद करते हुए विधिवत निर्णय पारित किया जाना अदालत उचित समझती है।

अतः आवेदन संख्या 53/2021 अनवान छोगाराम बनाम खेताराम पुनः बरामद करते हुए चूंकि प्रार्थीगण विवादित भूमी के रिकार्डेड खातेदार है तथा अपनी खातेदारी जोत की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया एवं सुनाया जाकर शामिल मिसल किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।